



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 19.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना खन्ना पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा वांछित/वारण्टी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.07.2021 को थाना खन्ना **SHO** श्री शिवआसरे के निकट पर्यवेक्षण में गठित उ0नि0 राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 32/21 धारा 147/323/336/504/506/325/308 भादवि व 7 सीएलए एकट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. रामकेश यादव उर्फ बोगी पुत्र बाबूराम यादव उम्र 21 वर्ष 2. नन्दू उर्फ नन्दकिशोर यादव पुत्र श्री राजाबाबू उम्र 27 वर्ष 3. रितिक यादव उर्फ कोटा पुत्र गजराज यादव उम्र 20 वर्ष 4. रमाकान्त यादव उर्फ बऊवा पुत्र मोहन यादव 5. बल्लू उर्फ बलराम यादव पुत्र बिन्दा यादव उम्र 39 वर्ष को ग्राम तमौरा के पास से गिरफ्तार किया गया व बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुये अभियुक्तों को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम...

1. उ0नि0 राजेश कुमार
2. कां अमन यादव
3. कां0 अरुण कुमार
4. रि0कां0 नवीन दूबे
5. कां राहुल यादव

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. रामकेश यादव उर्फ बोगी पुत्र बाबूराम यादव उम्र वर्ष 21
2. नन्दू उर्फ नन्दकिशोर यादव पुत्र राजाबाबू उम्र वर्ष 27
3. रितिक यादव उर्फ कोटा पुत्र गजराज यादव उम्र वर्ष 20
4. रमाकान्त यादव उर्फ बऊवा पुत्र मोहन यादव
5. बल्लू उर्फ बलराम यादव पुत्र बिन्दा यादव उम्र रा वर्ष निवासीगण ग्राम तमौ 39 थाना खन्ना जनपद





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 19.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा वांछित/वारण्टी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.07.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह के निकट पर्यवेक्षण में गठित उ०नि० सुमित नारायण व कां० संजय कुमार के नेतृत्व में टीम ने थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 173/21 धारा 379/411/120बी भादवि व धारा 4/21 खान एवं खनिज अधि० व धारा 3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना कबरई में वांछित चल रहे अभियुक्त संतोष वर्मा पुत्र रामसजीवन वर्मा उम्र 26 निवासी खुडा का पुरवा थाना को० देहात जनपद बांदा को पहरा मोड के पास कस्वा कबरई से गिरफ्तार किया व बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० सुमित नारायण
2. कां० संजय कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...

संतोष वर्मा पुत्र रामसजीवन वर्मा उम्र 26 नि० खुडा का पुरवा थाना को० देहात जनपद बांदा ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 19.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कोतवाली महोबा व महिला थाना महोबा का औचक निरीक्षण कर दिये आवश्यक निर्देश...।

आज दिनांक 19.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के द्वारा थाना कोतवाली महोबा व महिला थाना महोबा का औचक निरीक्षण किया, इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा मिशन शक्ति के तहत संचालित महिला हेल्पडेस्क का जायजा लिया और ड्यूटी में तैनात महिला आरक्षी से आये हुये फरियादियों की समस्या तथा उनके निस्तारण व प्राप्त फीडबैक का निरीक्षण किया, इसी क्रम में थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कक्ष, मालखाना का प्रमुख रूप से निरीक्षण किया साथ ही आपराध रजिस्टर सहित त्योंहार रजिस्टर का अवलोकन करते हुये प्रभारी निरीक्षक को व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के देते हुये कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा थाने पर आने वाले फरियादियों से मित्रवत व्यवहार करें तथा महिला सम्बन्धी मामलों को गम्भीरता से लेकर पीडित महिला को न्याय दिलाने के निर्देश दिये।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा लम्बित विवेचनाओं/IGRS के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिये गये, वर्षा ऋतु के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली एवं महिला थाना को परिसर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये साथ ही वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रख सचेत करते हुये कडे शब्दों में कहा गया कि सभी अधिकारी/कर्मचारीगण मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करें व सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, प्र0नि0 थाना कोत0 श्री बलराम सिंह, प्र0नि0 महिला थाना श्री अनिल सिंह, व0उ0नि0 आनन्द कुमार, म0उ0नि0 शिल्पी शुक्ला व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 19.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



कोतवाली महोबा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



आज दिनांक 19.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शस्त्रों की बरामदगी व शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० कोतवाली महोबा श्री बलराम सिंह द्वारा गठित टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर 02 नफर अभियुक्त **1. रवि कुमार प्रजापति पुत्र**

गनपत उम्र 18 वर्ष, नि० मो० बन्धानवार्ड थाना कोतवाली जनपद महोबा **2. शिवम चौरसिया पुत्र विजय चौरसिया उम्र करीब 19 वर्ष, नि० मो० इमलीबरा थाना कोतवाली जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 327/21 व 328/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. रवि कुमार प्रजापति पुत्र गनपत उम्र 18 वर्ष, नि० मो० बन्धानवार्ड थाना कोतवाली जनपद महोबा।
2. शिवम चौरसिया पुत्र विजय चौरसिया उम्र करीब 19 वर्ष, नि० मो० इमलीबरा थाना कोतवाली जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० आशुतोष त्रिपाठी
2. हे०का० राजेन्द्र मिश्रा
3. का० जितेन्द्र सोनकर



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 19.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा व्यापार मण्डल के सदस्यों के साथ चौकी भटीपुरा में की गई बैठक, सुरक्षा व आगामी त्यौहारों को लेकर हुई चर्चा



आज दिनांक 19.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम द्वारा थाना कोतवाली महोबा अन्तर्गत चौकी भटीपुरा में जनपद के व्यापार संघ के सदस्यों के साथ मीटिंग की गई। जिसमें व्यापारियों की जान-माल की सुरक्षा, रात्रि में शहर के मुख्य बाजार सहित सभी जगह प्रभावी गस्त/पिकेट एवं और बेहतर ताल-मेल बनाने पर चर्चा की गई। एएसपी द्वारा व्यापारियों से कम से कम कैश लेकर चलने, एक जगह पैसा इकट्ठा न करने व दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने आदि आवश्यक सुझाव दिये गये।

आगामी त्यौहार- काँवड़ यात्रा, ईद-उल-जुहा (बकरीद), श्रावण मास आदि त्यौहारों को लेकर चौकी क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्ति सहित सभी धर्मों के धर्म-गुरु आदि के साथ वार्ता की गई। सभी से भाई-चारे के साथ पर्वों को **कोविड-19 गाइडलाइन** के अनुसार मनाने की

अपील की गई। काँवड़ यात्रा अपने क्षेत्र/गाँव में आयोजित करने एवं बकरीद में खुले में व प्रतिबन्धित पशुओं की कुर्बानी न करने के निर्देश दिये गये। कोई भी समस्या/विवाद होने पर तुरन्त थाने के नं0 अथवा 112 पर फोन करके जानकारी देने को कहा गया, साथ ही लोगों को बताया गया कि सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है, अफवाह फैलाने/शरारती तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मीटिंग के बाद चौकी परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। बैठक में सीओ नगर श्री रामप्रवेश राय, प्र0नि0 कोतवाली महोबा श्री बलराम सिंह, प्रभारी चौकी भटीपुरा उ0नि0 श्री केशव राम, श्री रामजी गुप्ता (जिलाध्यक्ष व्यापार मण्डल), श्री सेवक ननवानी (जिलाध्यक्ष बुन्देलखण्ड मण्डल), श्री शिवकुमार सोनी (मण्डलीय महामंत्री), श्री हरिश्चन्द्र साहू (व्यापारी), श्री मो0 मुशीर (व्यापारी), श्री शरद तिवारी उर्फ दाऊ जी आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 19.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



प्रभारी यातायात द्वारा शहर में चलाया गया चेकिंग अभियान जनपदीय थानों द्वारा किया गया पैदल गस्त

प्रभारी यातायात श्री अरविन्द कुमार मिश्र मय टीम द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने को लेकर विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर **41 ई-चालान** किये गये।



आज दिनांक 19.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार/होटल/ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की गई।

